



कार्यालय अधिकारी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर

रजिस्टर्ड पंजी० नं० R.1019

निजी नलकूप/पम्प सेट हेतु टी०सी०

दिनांक

06/07/2023

स्थाई निवास का पता:

श्री.....
मुख्यमंत्री रवीनगढ़ी केरी
पुनर्मी पट्टी श्री रवीनगढ़ कुमार
ग्राम.....आमराचा पोस्ट सम्पर्क
ब्लाक.....सम्पर्क
जिला-सीतापुर

एप्लीकेशन नं० 1008290216 मोबाइल नं० 7404859705

महोदय,

आपके निजी नलकूप पम्प सेट के विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2023 के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी कार्य दिवस में आकर निम्न धनराशि जमा करने का कष्ट करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण

HT / LT लाइन बनाने में व्यय धनराशि.	620x2.36 = 38320.00
S/S बनाने में व्यय धनराशि.....	94582.00
योग.....	1022902.00
शासन द्वारा देय छूट.....	—
योग.....	1022902.00
जमानत धनराशि.....	2400.00
फिक्स+मीटर की धनराशि.....	4957.00
योग रु०.....	130259.00

अन्य आवश्यक शर्तें

- आप ऊपर की धनराशि जमा करके किसी कार्य दिवस में दो गवाहों सहित आयें तथा मात्र 100.00 रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं 1.00 रुपया का रसीदी टिकट सहित तथा अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति सहित अनुबन्ध हेतु इस कार्यक्रम में आयें।
- मीटर निरीक्षण शुल्क 1200/- शासकीय कोष में 0043 विद्युत दर पर कर निरीक्षण शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- आपको कनेक्शन हेतु आवश्यक सामग्री भण्डार केन्द्र, हुसैनगंज सीतापुर से अपने वाहन द्वारा ले जाना पड़ेगा।
- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनवाने का कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जायेगा।
- सीमेंट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे एंगिल पोल तथा सब स्टेशन के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी—
प्रति खम्मा आवश्यकतानुसार सीमेंट 2 बोरी, बालू 4.55 घन फिट, गिट्टी 9.10 घन फिट
प्रति स्टेशन आवश्यकतानुसार 0.31 बोरी, बालू 5.85 घन फिट, गिट्टी 3.70 घन फिट
- उपभोक्ता द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार लाइन बनाने में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आपका धन तभी जमा किया जायेगा जब इसी काउंटर के निम्न कृपक भी साथ ही धन जमा करें।
- संयोजन लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही अवमुक्त किये जा सकेंगे।
- उपभोक्ता को विद्युत भण्डार केन्द्र हुसैनगंज से वरीयताक्रम के अनुसार सामग्री निर्गत की जायेगी।
- पूर्ण जमा योजना में विद्युत लाइन बनवाने की जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता की होगी। इसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं है।
- टी.सी. निर्गत होने की तिथि से 3 माह (90 दिन) के अन्दर धनराशि करनी होगी।

भवदीय

पत्रांक— R.1019 / विंविंखंप्रथम / सी० / तददिनांक—

06/07/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड महोली।
- अधि० अभि० विं परी० खण्ड, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बंधित उपभोक्ता के परिसर में मीटर लगवाना सुनिश्चित करायेंगे।
- सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई, सीतापुर)।
- अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सीतापुर।

अधिकारी अभियन्ता

अधिकारी अभियन्ता



Scanned with OKEN Scanner